



न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार सदर मेदिनीनगर

आदेश

अनुमति वाद संख्या - 187 / 24-25

विजय पासवान बनाम माला देवी

आवेदक विजय पासवान को पिता/पति लालू देवी देवी पासवान
ग्राम रावाडी थाना रावाडी जिला-पलामू जाति कुलुन्द
आदिवासी/हरिजन/पिछड़ी जाति को निम्नांकित भूमि की विपक्षी माला देवी
पिता/पति महेन्द्र लाल ग्राम पल्लुनिया थाना रावाडी
जिला-पलामू जाति कुलुन्द आदिवासी/हरिजन/पिछड़ी जाति के पक्ष में
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(बी) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा अंतरण करने
की अनुमति प्रदान की जाती है। भूमिहीन होने की स्थिति में आवेदक/आवेदिका सरकार से
भूमि का दावा नहीं कर सकता/सकती है। आवेदक/आवेदिका (विक्रेता) सिर्फ अपने हिस्से
की ही भूमि का विक्रय करेंगे। प्रस्तावित भूमि प्रतिबंधित सूची से बाहर रहने पर ही यह
अनुमति मान्य होगा।

ग्राम एवं थाना

खाता नं०

प्लॉट नं०

रकबा

रावाडी
रावाडी
बमरु

36

- 289 -

05 एकड़मील
1 पॉन्ग एकड़मील

उप समाहर्ता

भूमि सुधार, सदर मेदिनीनगर

ज्ञापांक 1026.../भू०सु, दिनांक 14.2.25

प्रतिलिपि :- अवर निबंधक, पलामू मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आवेदक विजय पासवान को उप समाहर्ता पिता/पति लालू देवी देवी पासवान
ग्राम रावाडी थाना रावाडी जिला-पलामू एवं क्रेता माला देवी
पिता/पति महेन्द्र लाल ग्राम पल्लुनिया थाना रावाडी
जिला-पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप समाहर्ता

रामेश मोन्नी
4/2/2025

उप समाहर्ता

भूमि सुधार, सदर मेदिनीनगर